प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।

प्रेषक - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर ।

सेवा में- प्रबन्धक
सेन्ट थोमस एकेडमी
बेहट रोड ---------- (सहारनपुर) ।

पत्रांक - शि०स०/ 2001-2002 2863-64 दिनांक 9-7-01
विषय - प्राईमरी स्तरीय विद्यालय की अस्थायी मान्यता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय से प्राप्त आवेदनपत्र तथा जांच अधिकारी की आख्या के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2001 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तरीय अस्थायी मान्यता (कक्षा - 1 से कक्षा - 5 तक) दि0-दो वर्ष हेतु से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

1- विद्यालय में प्रबन्ध समिति द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जायें तथा विद्यालय का लेखाजोखा किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा डाकघर में रखा जाये।
2- किसी भी छात्र से 15-00 रुपये प्रतिमाह से अधिक शुल्क न लिया जाये।
3- विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकें तथा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाये।
4- बिना अनुमति प्राप्त किये किसी भी कक्षा अथवा सेक्शन को न तो खोला जाये और न ही कोई शाखा अन्य स्थान पर रखी जाये।
5- विद्यालय में केवल प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां नियमानुसार की जाये तथा प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिका/कर्मचारी को परिषद के अध्यापकों/कर्मचारियों के समान वेतन तथा अन्य भत्ते भुगतान करने होगें।
6- विभाग द्वारा निर्गत समय-समय पर निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाये। विभागीय आदेशों की अवहेलना पर प्रदत्त मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है जिसके लिये विद्यालय प्रबन्ध समिति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

भवदीय -

: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी :
सहारनपुर

उसी तिथि को

पृष्ठांकन संख्या- शि०स०/ /

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विद्यालय उप निरीक्षक, सहारनपुर।
2- शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र

(Stamp: St. Thomas Academy, Saharanpur) (Stamp: St. Thomas Academy, Saharanpur)

: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी :
सहारनपुर ।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर ।

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,
सेंट थामस एकेडमी जू०हा०स्कूल,
बेहट रोड, सहारनपुर ।

पत्रांक/मान्यता / 553-61 /2001-2002 दिनांक:- 02/02/2002

विषय:- अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) को अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18 एस (7)/89 दिनांक 13.8.97 में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 10.1.2002 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता शैक्षिक सत्र 2001-2002 से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है। शासनादेश में विहीत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे :-

प्रधानाध्यापक	-	एक
सहायक अध्यापक	-	चार
लिपिक	-	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/क्राफ्ट अध्यापक माने जायेंगे । शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा, पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा ।

भवदीय

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।

पृष्ठांकन संख्या:/मान्यता/ /2001-2002 उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर
4- वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) सहारनपुर।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर
6- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर
7- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी सहारनपुर।
8- कार्यालय पत्रावली ।

St. Thomas Academy Saharanpur

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

St. Thomas Academy Saharanpur